भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4872**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्राकृतिक रबर के लिए एमएसपी

4872. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रबर क्षेत्र में संकट तथा प्राकृतिक रबर की कीमत में गिरावट के कारण छोटे और सीमांत किसानों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) क्या सरकार के पास प्राकृतिक रबर को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को रबर क्षेत्र पर गठित कार्यबल की सिफारिश प्राप्त हुई है, जिसमें प्राकृतिक रबर को कृषि फसल के रूप में माना जाए तथा इसे एमएसपी योजना के अंतर्गत लाया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): अप्रैल से फरवरी, वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान कोट्टायम, केरल में प्राकृतिक रबर (आरएसएस 4 ग्रेड) की औसत कीमत 200.04 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान औसत कीमत 153.75 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अतः इसमें 30.11% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग): वर्ष 2018 में रबर क्षेत्र पर एक कार्य बल का गठन किया गया था और उस समय इसकी सिफारिशों पर विचार किया गया था। सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। इन 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसले अर्थात् धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी , तुअर (अरहर), मूंग, उड़द , मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड , कपास और 6 रबी फसलें, अर्थात् गेहूं, जौ, चना, मसूर (मसूर), सफेद सरसों और सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें, अर्थात्, जूट और खोपरा शामिल हैं । वर्तमान में प्राकृतिक रबर न्यूनतम सहायकत समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों में शामिल नहीं है।

*****